।। प्रेस नोट ।।

पुलिस उपायुक्त जोधपुर पश्चिम

@dcpwestjodhpur Dcpjodhpur west 8764519202

दिनांक : 20.03.2024

- **श्रीमान राजेन्द्रसिंह, पुलिस आयुक्त जोधपुर के निर्देशन एवं राजेश कुमार यादव, पुलिस उपायुक्त जोधपुर पश्चिम के सुपरविजन में जिला जोधपुर पश्चिम द्वारा लोकसभा आम चुनाव 2024 के मध्यनजर नशीली दवाईयों के कारोबारियों के विरुद्ध बड़ी कार्यावाही।**
- **नशीली दवाईयों (ट्रामाडोल) के कुल 41 कार्टून जिसमे 6,45,200 टेबलेट जिनकी अनुमातनित बाजार कीमत लगभग 2 करोड़ रुपये है ।**
- **नशीली दवाईयों (ट्रामाडोल) के कार्टुनो के परिवहन मे प्रयुक्त वाहन लोडिग टेक्सी जब्त ।**

श्रीमान पुलिस आयुक्त जोधपुर श्री राजेन्द्र सिंह व पुलिस उपायुक्त जोधपुर पश्चिम श्री राजेश कुमार यादव के निर्देशानुसार व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री निशान्त भारद्वाज व सहायक पुलिस आयुक्त वृत्त श्री अनिल कुमार के सुपरविजन में श्री मांगीलाल विश्नोई निपु थानाधिकारी पुलिस थाना सूरसागर के नेतृत्व में लोकसभा आम चुनाव 2024 के मध्यनजर अवैध मादक पदार्थो की सप्लाई करवाने वाले व अवैध गतिविधियो मे संलिप्त व्यक्तियो की निगरानी रखने हेतु थाना स्तर पर एक विशेष टीम गठित की गई। टीम द्वारा नशीली दवाईयों (ट्रामाडोल) के कुल 41 कार्टून जिसमे 6,45,200 टेबलेट व नशीली द्वाईयो (ट्रामाडोल) के कार्टुनो के परिवहन मे प्रयुक्त वाहन लोडिग टेक्सी को जब्त करने मे सफलता प्राप्त की उक्त नशीली दवाईयो (ट्रामाडोल) की अनुमातनित बाजार कीमत लगभग 2 करोड़ रुपये है ।

घटना का विवरण :– दिनांक 20.03.2024 को श्री मांगीलाल विश्नोई निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी सूरसागर जोधपुर पश्चिम को श्री मनीष कानि 612 से प्राप्त आसूचना एवं भीनमाल थानाधिकारी एवं डीएसटी जालौर से प्राप्त इनपुट के आधार पर मां आशापुरी पोसिस वर्क्स गेवा बाई पास सूरसागर के कारखाने मे दबीश देकर अवैध रुप से भण्डारण की गई एनडीपीएस घटक युक्त नशीली प्रतिबन्धित दवाईया (ट्रामाडोल) के कुल 41 कार्टून जिसमे 6,45,200 टेबलेट व नशीली दवाईया (ट्रामाडोल) के कार्टुनो के परिवहन मे प्रयुक्त वाहन लोडिग टेक्सी को जब्त किया गया । उक्त नशीली दवाईयो के बारे मे श्री आशीष दत्त गज्जा औषधि नियन्त्रण अधिकारी मौके पर पहुंचे जिन्हे इस सबंध मे तहरीर दी जाकर मार्गदर्शन चाहा गया तो लिखित प्रतिउत्तर पेश किया व बताया कि उक्त टेबलेट एनडीपीएस एक्ट 1985 की परिधि मे आती है जिसके लिये आप नियमानुसार कार्यवाही करे। नशीली दवाईया (ट्रामाड़ोल) ड्रग्स है जो नशे के लिए उपयोग मे ली जाती है । जो मानव उपयोग के लिये हानिकारक है। वगैरा पर प्रकरण संख्या 85/2024 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट पुलिस थाना सूरसागर दर्ज कर जांच हवाले थानाधिकारी राजीव गाधी नगर के जिम्मे की गयी।

कार्यवाही में शामिल पुलिस टीमः–

1. श्री मांगीलाल विश्नोई नि. पु. थानाधिकारी पुलिस थाना सूरसागर जोधपुर पश्चिम
2. श्री कैलाश पंचारिया उ.नि. पुलिस थाना सूरसागर जोधपुर पश्चिम
3. श्री श्रैणीदान हैडकानि 31 पुलिस थाना सूरसागर जोधपुर पश्चिम
4. श्री मनीष कानि 612 पुलिस थाना सूरसागर जोधपुर पश्चिम (विशेष भूमिका)
5. श्री राजूसिह कानि 167 पुलिस थाना सूरसागर जोधपुर पश्चिम
6. श्री धर्माराम कानि 3011 पुलिस थाना सूरसागर जोधपुर पश्चिम
7. श्री अजीत कानि 636 पुलिस थाना सूरसागर जोधपुर पश्चिम
8. श्री धर्माराम कानि 1077 पुलिस थाना सूरसागर जोधपुर पश्चिम
9. श्री चेनाराम कानि 1355 पुलिस थाना सूरसागर जोधपुर पश्चिम
10. श्री जालाराम कानि 2816 पुलिस थाना सूरसागर जोधपुर पश्चिम
11. श्री बाबुलाल जागिड थानाधिकारी भीनमाल जिला जालौर
12. श्री बलदेव राम उ. नि. प्रभारी डीएसटी जालौर
13. श्री रमेश कानि 490 डीएसटी जालौर
14. श्री ओमकार सिह कानि 329 डीएसटी जालौर

फोटो :—